


जारी 1  
14.2.13

उत्तराखण्ड शासन  
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3  
संख्या- 12/KPX-3-2013-8(83)/2001टी.सी.  
देहरादून दिनांक 14 फरवरी 2013



अधिसूचना

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-22 की उपधारा-4(ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय डा0 राकेश शाह, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून को उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


  
(एस0 रामास्वामी)  
प्रमुख सचिव

संख्या- /X-3-13/तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. अपर महानिदेशक, (वन्य जीव) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव विविधता, प्राधिकरण भारत सरकार, 457,9 दक्षिणी स्ट्रीट, कल्पेश्वर नगर, वीलंकराई, चेन्नई-600041 (तमिलनाडु)।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
9. डा0 राकेश शाह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
10. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मंडल, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, सूचना विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को गजट में प्रकाशनार्थ।
15. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
16. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
17. अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

  
(मनोज चन्द्रन)

अपर सचिव